हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

नीट यू0जी0, 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की स्ट्रे वैकेंसी चरण काउन्सिलिंग चरणों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. स्ट्रे वैकेंसी चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैः–

1. प्रथम /द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे तीनो चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुयी हो।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण न कराया हो और स्ट्रे वैकेन्सी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।

2. स्ट्रे वेकैसी चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगेः–

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण/तृतीय काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के तृतीय काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश नहीं लिया है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन–लाईन आधार पर)

1. Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि **(रुपया 4500/–) केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वे Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन च्वाईस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी तथा धरोहर राशि जमा नही करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा नही किये गये है, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन–लाईन आवेदन फार्म भर कर नवीन च्वाईस फिलिंग करते हुये Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई हो तथा वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमैन्ट कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते हुये स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना

चाहते हो, तो इस हेतु उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन कोटे के विकल्प का आन–लाईन आवेदन फार्म भरते हुये चयन करना होगा। तद्पश्चात वे आन–लाईन आवेदन फार्म भरकर वांछित सूचना भर कर नवीन च्वाईस फिलींग करते हुये स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ज्यादा है तो उन्हे कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नही करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हे उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणो की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा शुल्क वापसी हेतु आन–लाईन आवेदन फार्म मे भरे गये विकल्प के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऑन–लाईन आधार पर वापस की जायेगी।

5. Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में पंजीकरण/पुनः पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित सूचना, नवीन च्वाईस फिंलीग एवं च्वाईस लॉक (Choice lock) करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें।
6. पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिंलीग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Stray Vacancy round हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।
7. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की समय सारणी के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में वांछित परिवर्तन कर सकता है, तद्पश्चात अभ्यर्थी को च्वाईस को LOCK किया जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्ततन किसी भी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
9. यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग करने के उपरान्त LOCK नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है।
10. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं।
11. अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा संतुष्ट हो लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**
12. Stray Vacancy round में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।

13. श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज देहरादून की एन0आर0आई0 कोटे की सीटों को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 247890/XXVIII(5)/2024-(E-78579) दिनांक 18.10.2024 एवं गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून की एन0आर0आई0 कोटे की सीटों को शासनादेश संख्या 249568/XXVIII(5)/2024-(E-79097) दिनांक 24.10.2024 में वर्णित प्राविधानुसार भरा जायेगा। ।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

1. संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।
2. Stray Vacancy round की काउंसिलिंग में संस्थानवार सीटों को विवरणिका में दिये गये नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा, इसके आधार पर ही अंतिम आवंटन प्रकाशित किया जायेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. आरक्षण

1. Stray Vacancy round काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) **हेतु** आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के स्थान एवं तिथि के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी। विकलाग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के संबंध में नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित Information bulletin में निर्धारित नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी। संबंधित श्रेणी के आरक्षण

का लाभ लेने के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Information bulletin का भली–भॉति अध्ययन कर लेवें।

7. **किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को तृतीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।**
8. काउंसिलिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड एवं उसके साथ किसी अन्य राज्य का श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन शासनादेश संख्या 152215/XXVIII(5)/2024(E)14483 दिनांक 06 सितम्बर 2024 के अधीन किया जायेगा।

9. प्रवेश प्रक्रिया

1. Stray Vacancy round में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी स्ट्रे चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. **आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आंवटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होगें, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें।**

10. विविध

1. Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।
3. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 23.10.2024

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2024
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

Learn to Serve